

2022/475

6/6/2022

प्राकृतिक सहायता गांवों के संगे अभियान 2022 के
 लोकोपयोगी विधि मु.वा.वा. पर निम्नलिखित
 हेतु लार्ड जॉन पर पेश हुई। हमने प्राकृतिक
 सहायता विभाग/ प्राथमिक ग्राम घोषणा
 लिखित सं. नं. 1453/1967, 1452/1968, 1448/1969
 1453/1915मी, 1452/1914, 1448/1913मी. की पत्थरवादी
 कागज पंखे हैं। अलग अलग जमाव की
 अनुसार उक्त आराजीयत प्राथमिक की खेत पर
 की है। उक्त प्राथमिक का प्राथमिक पर खीका
 किता पाकर ग्राम घोषणा की आराजी सं. 1453/1967,
 1452/1968, 1448/1969 कीता 3 रुकवा 0.1650 हे.
 एवं 1453/1915मी, 1452/1914, 1448/1913मी. कीता 3
 रुकवा 0.1650 कुल कीता 6 कुल रुकवा 0.3300 हे.
 ग्राम की बिना किसी के कब्जे में दखलदारी किए
 अहममैर नब्बे अनुसार पत्थरवादी किए जाने
 के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 500 रु. रुकवा
 अथवा पांच सौ रुकवा प्राथमिक वरुण को गी
 दखलदारी लक्ष्मीदास कृष्णी को लिखा जावे
 कि परतकारण को लिखित सूचना देकर पत्थरवा
 गुपेटी आचलन से उन्मुक्त की। प्राकृतिक
 सहायता शुभारंभ लेकर नब्बे से काम हो



(श्याम सुन्दर बिस्नेई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला इलाहाबाद (राज.)